


न्यायालय श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट  
कोर्ट रीवा (म०प्र०)

145



C.F. Rs. 20/-

710  
31.X.12

रमाकान्त पिता दिनेश प्रसाद, निवासी ग्राम पड़खुरी पवाई-588,  
तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०)

—निगरानीकर्ता

बनाम

शिवबालक तनय गंगा कुर्मी, निवासी ग्राम पड़खुरी पवाई-588, तहसील  
रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०)

—गैरनिगराकार्य/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब  
तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा प्र०क्र०  
36अ/12/11-12 में पारित आदेश दिनांक  
22/08/2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता

श्रीमान् न्यायाधीश जी ए०  
9685716998

अधिवक्ता श्री श्रीमान् न्यायाधीश जी  
द्वारा उल्लेखित  
रीवा, दि. 31/X/2012  
मान्यवर,

31.10.12

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- 2- यह कि आवेदक भूमि नम्बरी 530 एवं 554 स्थित ग्राम पड़खुरी पवाई, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी का भूमि स्वामी व स्वत्वधारी है। आवेदक की उक्त भूमि या प्रकरण में वादग्रस्त सीमांकन की भूमियों की सरहद्दी भूमियाँ हैं, इस कारण आवेदक उक्त सीमांकन कार्यवाही हेतु एक हितबद्ध पक्षकार था किन्तु आवेदक को उक्त सीमांकन की कार्यवाही में बिना किसी

9685716998


31.10.12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.794-II/13

जिला-सीधी

रमाकांत/शिवबालक कुर्मी

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	